रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 622] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 25, 2014/अग्रहायण 4, 1936
No. 622] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 25, 2014/AGRAHAYANA 4, 1936

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2014

सा.का.नि. 840(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली में सुरक्षा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, सुरक्षा अधिकारी, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान:**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि:**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या ;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति:-—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सुरक्षा अधिकारी	3*(2014) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300-34800रु.+ ग्रेड वेतन 4600रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	पुनर्नियोजित सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए दो वर्ष	33.33% - संयुक्त पद्धति द्वारा [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी शामिल है) + प्रोन्नति], 66.67% - प्रतिनियुक्ति / सशस्त्र बल कार्मिकों के पुनर्नियोजन द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	**(12)**	**(13)**
संयुक्त पद्धति [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी शामिल है) + प्रोन्नति] **:** केन्द्रीय या राज्य पुलिस संगठनों, अर्द्ध-सैनिक बलों, केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा संगठनों, भारतीय सेना में नायब सूबेदार की श्रेणी में सशस्त्र बल कार्मिक या भारतीय वायु सेना में कनिष्ठ वारंट अधिकारी या भारतीय नौसेना में चीफ पैटी अधिकारी स्तर के ऐसे अधिकारी :– (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800/-रु. + ग्रेड-वेतन 4200/-रु. या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की हो ; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित आवश्यक शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों, अर्थात :- **आवश्यक :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में बैचलर की डिग्री ; (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थाओं से सुरक्षा और अग्नि शमन में डिप्लोमा ; (iii) केन्द्रीय या राज्य पुलिस संगठनों या अर्द्ध-सैनिक बलों, सशस्त्र बलों या केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा संगठनों या किसी बडे. प्राईवेट सेक्टर के संगठन में सुरक्षा संबंधी कार्यों में पांच वर्ष का अनुभव। **वांछनीय :** सुरक्षा प्रबंध में डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम। **टिप्पण :** वेतन बैंड-1, 5200-20200/-रु. + ग्रेड-वेतन 2800/-रु में ऐसे विभागीय सुरक्षा सहायक, जिन्होंने ग्यारह वर्ष की नियमित सेवा की है पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उस पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। **सशस्त्र सैन्य कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति / पुनर्नियोजन :** वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड-वेतन 4200 रु. में भारतीय सेना में नायब सूबेदार या भारतीय वायु सेना में जूनियर वारंट अधिकारी या भारतीय नौसेना में चीफ पैटी अधिकारी या समतुल्य रैंक में ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं और यदि उनका चयन हो जाता है, तो ऐसे अधिकारियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधन पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। ऐसे पात्र अधिकारियों की दशा में यदि पद पर वास्तविक चयन से पूर्व वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं या रिजर्व में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर की जाएगी।	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुनर्नियोजित सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए) 1. संयुक्त सचिव (संस्कृति) **–अध्यक्ष** 2. महानिदेशक/ निदेशक (एनजीएमए) **-सदस्य** 3. निदेशक (संग्रहालय), संस्कृति मंत्रालय **-सदस्य**	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(सिविल पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन) (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)। **टिप्पण** : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा के सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है, और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।		

[फा. सं. 17-12/2011-एम-I (भाग)]

के. के. मित्तल, अपर सचिव

MINISTRY OF CULTURE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2014

G.S.R. 840 (E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Security Officer in the National Gallery of Modern Art, New Delhi in the Ministry of Culture, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Culture, Security Officer, National Gallery of Modern Art, New Delhi Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.—The number of the said post, its classification and the Pay Band and Grade Pay or Pay Scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc. .—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person.—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	**Number of post**	**Classification**	**Pay Band and Grade Pay or Pay Scale**	**Whether selection or non-selection post**	**Age limit for direct recruits**	**Educational and other qualifications required for direct recruits**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Security Officer	3* *(2014) Subject to variation dependent on workload	General Central Services Group 'B' Gazetted Non-Ministerial	Pay Band-2 Rs.9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4600/-	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
Not applicable	Two years for Armed Forces personnel re-employed	33.33% by Composite Method [Deputation (including short term contract) plus Promotion], 66.67% by Deputation/Re-employment of Armed Forces personnel.	Composite Method [Deputation (including short term contract) plus Promotion] Officers of Central or State Police organizations, Para Military Forces, Central Civil Defence Organizations, Armed Forces Personnel in the rank of Naib Subedar in Indian Army or Junior Warrant Officer in Indian Air Force or Chief Petty Officer in Indian Navy : (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for re-employed Armed Forces Personnel) : 1. Joint Secretary (Culture) –Chairman 2. Director General/Director (NGMA) –Member 3. Director (Museums) Ministry of	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

			basis in posts in the Pay Band -2, Rs. 9300-34800/- plus grade pay of Rs. 4200/- or equivalent in the parent cadre or department; and	Culture –Member	
			(b) possessing the following essential educational qualifications and experience, namely :— **Essential :** (i) Bachelor's Degree in any discipline of a recognised University; (ii) Diploma in security and fire fighting from a recognised institution; and (iii) five years experience in security related functions in Central or State Police organizations or Para Military Forces or Armed Forces or Central Civil Defence Organizations or a large private sector organisation. **Desirable** : Diploma or Certificate course in Security Management. **Note :** Departmental Security Assistant in the pay band–1, Rs. 5200-20200 plus Grade pay of Rs. 2800 with at least eleven years regular service will also be considered alongwith outsiders and in case he or she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. **Deputation/Re-employment for Armed Forces personnel**. Armed Forces personnel in the rank of Naib Subedar in Indian Army or Junior Warrant Officer in Indian Air Force or Chief Petty Officer in Indian Navy or equivalent in the Pay Band-2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4200, who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and have the qualifications and experience prescribed for deputation shall also be considered and if selected, such officers will be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued		

			on re-employment terms. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made their appointment will be on re-employment basis. (Re-employment up to the age of superannuation with reference to civil posts) (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications). **Note :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay or Pay Scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay or Pay Scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

[No. 17-12/2011-M.I (part)]

K.K. Mittal, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.